



2026:AHC:7040

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19338 वर्ष 2025

राहुल कुमार शर्मा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता:

दिशा श्रीवास्तव, सुबीर लाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता:

मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिशा श्रीवास्तव और राज्य के ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार मिश्रा को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का यह मामला है कि रिट याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, रिट याचिकाकर्ता और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 123 वर्ष 2025 धारा 140(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज किया गया था, तत्पश्चात रिट याचिकाकर्ता को 02.03.2025 तक निलंबित कर दिया गया था।
3. निलंबन आदेश पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को वरीयता दी गई है।
4. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की मांग की है कि हालांकि निलंबन आदेश में, यह कहा गया है कि जांच पर विचार किया गया था, लेकिन आज तक, कोई जांच नहीं की गई है। इस हद तक प्रस्तुत करना है कि रिट याचिकाकर्ता का जमानत और आगे बढ़ा दिया गया था और अब, प्रारंभिक जांच बिना किसी अंतिम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच के आयोजित की जा रही है। प्रस्तुत किया गया है कि निलंबन से पहले, कुछ तथ्यों का पता लगाने के लिए एक प्रारंभिक जांच की जानी है, जो रिट याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत रखने के लिए आवश्यक होंगे। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता निलंबन आदेश को रद्द करने के लिए पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात से संपर्क करेगा।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. न्यायालय में इस तरह की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को एक विस्तृत प्रत्यावेदन करने का निर्देश देने के लिए किया गया है। तत्पश्चात, 22.01.2026 तक दूसरे प्रतिवादी, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, छह सप्ताह के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करेगा।
7. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जनवरी 12, 2026

राजेश

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)